न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

संख्या25

बउनवान

न्य सरकारद्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, (बारां) (प्रार्थी)

बनाम

श्रीमती बबीता श्री नरेश निवासी चौमुखा बाजार बारां (अप्रार्थीया)

प्रार्थनात धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत

स्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 15.09.2025

रा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.02.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरे व्यावसायिक दुरूपयोग की शिकायत के क्रम में प्रार्थी हमराह देवाराम सारण, प्रवर्तन अधिकपेट्रोल पम्प के सामने स्थित नामदेव भोजनालय पर पहुंचे मौके पर श्रीमति बबीता पत्नी रेश नि. चौमुखा बाजार बारां उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके गैस सिलेण्डर का अवैद्य व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाया गया। इसलिये द्रवित गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 3 के खण्ड 3 का उल्लंघने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स लक्ष्य एचपी गैस एज की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया।

र अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खफा स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

करण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीया को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 195 नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीया बावजूद सूचना अनुपस्थित रही। अतः अप्रार्थीया के पक्षीय कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय बहस प्रार्थी हेतु प्रकरण नियत किया।

न एकपक्षीय पेरोकार रसद की सुनी।

हस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन)000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 2 गैस सिलेण्डर को आवश्यक नियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योगता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.14 10:59:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाराँ (राज०)

...रणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश ...ता है कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (1) 190806P, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर (2) ... का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी / सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा ... सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500 / – रूपये यानि 2 ...स सिलेण्डर की कुल 5000 / – रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स लक्ष्य एचपी गैस एजेन्सी बारां को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.10.14 10:59:53 IST
Reason: SelfAttested